



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
<p>13/01/2022</p>	<p align="center"><u>न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</u></p> <p align="center">एस० आर० पुनरीक्षण 01/2014</p> <p align="center">अजय मुण्डा बनाम रोपना मुण्डा एवं अन्य</p> <p align="center"><u>आदेश</u></p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण दिनांक-04.10.2014 के विशेष विनियमन पदाधिकारी तथा दिनांक-18.10.2013 को अपर समाहर्ता, राँची द्वारा अपीलवाद संख्या-66/R-15/2007-08 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत मामले में खाता नम्बर-76, प्लॉट नम्बर-154 के 05 डिसमिल भूमि के वापसी हेतु सुनील मुण्डा द्वारा दायर आवेदन में मुआवजा भुगतान का आदेश विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा एस०आर० वाद संख्या-408/2005-06 एवं एस०आर० वाद संख्या-203/2006-07 में पारित किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध अपर समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर की गयी। अपीलीय न्यायालय में अपीलार्थी अथवा विपक्षी कभी भी उपस्थित नहीं हुये। लगातार मौका देने के बाद भी उभय पक्षों की अनुपस्थिति के कारण वाद को खारिज कर दिया गया। उक्त वाद खारिज होने के पश्चात् विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा दिनांक-04.10.2013 को पूर्व के आदेश के अनुपालन हेतु आदेश दिया गया। प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन में आवेदकों द्वारा सभी आदेशों के विरुद्ध आवेदन दायर किया गया है। आवेदकों का मुख्य दावा मुआवजा राशि समुचित नहीं होने तथा मुआवजा राशि के हिस्सेदारी को लेकर है। आवेदकों के कथनानुसार विपक्षी क्रमांक-01 को प्रश्नगत भूमि से कोई सरोकार नहीं है तथा मात्र आवेदक के दावे को नकारने के लिये विपक्षी क्रमांक-01 को इस वाद में पक्षकार बनाया गया है।</p> <p>प्रश्नगत वाद में आवेदक यदा-कदा ही उपस्थित रहे हैं। आवेदक की अंतिम उपस्थिति दिनांक-29.03.2016 को दर्ज की गयी थी। इसके पश्चात् विगत पाँच वर्षों से आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत वाद में आवेदकों का दावा मुख्यतः मुआवजा राशि के बंटवारे को लेकर है। यह भी विचारणीय है कि अपर समाहर्ता द्वारा आदेश पारित करने के 11 माह के पश्चात् यह पुनरीक्षण दायर किया गया है। पुनरीक्षण आवेदन से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवेदक वास्तव में किस बिन्दु पर आपत्ति कर रहे हैं। स्पष्टतः आवेदक को इस बात के संचालन में कोई अभिरुचि नहीं है। अतः प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुये वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="right">  आयुक्त राँची </p> <p align="left">  आयुक्त राँची </p>	